

प्रेस-विज्ञप्तिथाना अतरौलियाजानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में SI सुल्तान सिंह मय हमराह का० उमेश सिंह व का० राजकुमार गुप्ता के खाना शूदा रोजनामचा आम तारीखी इमरोजा से बगरज देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित/संदिग्ध व्यक्ति जाँच प्रार्थना पत्र व पेण्डिंग विवेचना मु०अ०सं० 118/21 धारा 307,323,504 ipc में मामूर होकर कस्बा अतरौलिया केसरी चौराहे पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे कि मुखबिर खास ने बताया कि दिनांक 21.7.21 को दोपहर में रामपुर खास गांव में जो फायरिंग हुई थी उससे सम्बन्धित आरोपी रामरोहित निषाद पुत्र स्व० पाँचू निषाद जो रामपुर खास का रहने वाला है अतरौलिया बस स्टैण्ड पर कही जाने के लिये खड़ा है और जिस बन्दूक से उसने फायरिंग किया था वह भी साथ में लिया है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर SI मय हमराहियान फोर्स के मुखबिर को साथ लेकर बताये स्थान की ओर आये वहां रोडवेज बस स्टैण्ड अतरौलिया से थोड़ी दूरी पहले रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने सड़क पर खड़े व्यक्ति की ओर इशारा कर मुखबिर चला गया मुखबिर द्वारा बताये हुये व्यक्ति के पास पुलिस टीम उसके पास छिपते-छिपाते नजदीक आकर एक बरगी दबिश देकर समय 10.25 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामरोहित निषाद s/o स्व० पाँचू निषाद निवासी ग्राम रामपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष बताया तथा हाथ में लिये एक नाली बन्दूक 12 बोर व बन्दूक के बट पर कवर में लगे खोखा व जिन्दा कारतूस के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि मेरी लाइसेंस बन्दूक व उस पर जारी कारतूस है। दिनांक 21.7.21 को मेरे भाई रामकेश निषाद के पास लड़के नहीं है मात्र तीन लड़किया है जिनसे मेरा जमीन के बटवारे का विवाद उसी विवाद के कारण आपस में कुछ विवाद हो रहा था। जिस पर सभी लोग मुझे मारने के लिये तैयार हो गये इस पर मैं घर में रखी अपनी लाइसेंस बन्दूक लेकर आया और भाई की लड़की संध्या निषाद जो मुख्य रूप से विवाद कर रही थी मैंने जान से मारने के लिये फायर किया था मौके से डरवश अपनी बन्दूक लेकर भाग रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। बन्दूक को कब्जा पुलिस व बट में कवर में लगे 05 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस मिला जिसे कब्जा पुलिस लिया गया | अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 108/21 धारा 307,323,504 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामरोहित निषाद s/o स्व० पाँचू निषाद निवासी ग्राम रामपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष

बरामदगी -

एक नाली बन्दूक 12 बोर मय 05 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. 30नि० सुल्तान सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. का० राजकुमार गुप्ता थाना अतरौलिया आजमगढ़

### 3. का0 उमेश सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़

#### थाना- अहरौला

#### लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

दिनांक- 16.07.2021 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि थाना अहरौला के एक गाँव के एक लड़की को प्रवीण बिन्द उर्फ गोलू पुत्र त्रिवेणी बिन्द ग्राम ओरिल केवटाना थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने विश्वास में लेकर, कुछ दिन बाद पीड़िता शौच करने बाहर गयी तो, जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109/2021 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अहरौला को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक- 22.07.2021 को थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय हमराह द्वारा विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में मु0अ0सं0 109/2021 धारा 376/506 भा0द0वि0 मे मामुर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित प्रवीण बिन्द उर्फ गोलू पुत्र त्रिवेणी बिन्द ग्राम ओरिल केवटाना थाना पवई जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है कि इस सूचना पर थानाध्यक्ष विश्वास करके मय हमराही फोर्स के मय मुखबिर के ग्राम ओरिल केवटाना थाना पवई आजमगढ़ अभियुक्त के घर पहुँचे तो मुखबीर खास ने दूर से ही इशारा करके बताया कि वह व्यक्ति है जो घर के बाहर मंडई में चारपाई पर बैठा है पुलिस टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर अभियुक्त को समय करीब 07.20 बजे पकड़ लिया गया नाम पता पूछने पर 1. प्रवीण बिन्द उर्फ गोलू पुत्र त्रिवेणी बिन्द ग्राम ओरिल केवटाना थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया जो कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2021 धारा 376/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 109/2021 धारा 376/506 भा0द0वि0 के थाना थाना अहरौला , आजमगढ़,

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1- प्रवीण बिन्द उर्फ गोलू पुत्र त्रिवेणी बिन्द ग्राम ओरिल केवटाना थाना पवई जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- -

- 1- थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय राह हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 सत्येन्द्र कुमार यादव, थाना अहरौला , आजमगढ़
- 2- रि0का0 परिक्षित दूबे , रि0म0का0 नेहा शुक्ला , रि0म0का0 संध्या चौहान थाना अहरौला , आजमगढ़

#### थाना- महाराजगंज

#### गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 03 वांछित गिरफ्तार

वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 22.07.21 को प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह , उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, द्वारा सम्बन्धित मु0अ0सं0 216/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्टसे सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. छन्नू यादव उर्फ मन्नू S/O लौटू यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम बलई का पुरा , 2. राजेश यादव S/O बच्चा उर्फ बच्चन यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम औघड़गंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को मुखबीर की सूचना के आधार करीब 07.30 बजे सहदेवगंज बंधे से व अभियुक्त 3. सोनू यादव S/O तिल्लू उर्फ इन्द्रदेव यादव R/O सैदपुर बरजी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को समय 07.55 बजे भैरोबाबा मन्दिर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 216/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-188/2018 धारा 272, 273 ipc व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0-216/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तगण**

1. छन्नू यादव उर्फ मन्नू S/O लौटू यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम बलई का पुरा
2. राजेश यादव S/O बच्चा उर्फ बच्चन यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम औघड़गंज थाना महाराजगंज जनपद
3. सोनू यादव S/O तिल्लू उर्फ इन्द्रदेव यादव R/O सैदपुर बरजी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. SHO गजानन्द चौबे मय हमराह का0 सन्तोष कुमार गुप्ता, रि0का0 राहुल राज, थाना-महाराजगंज, आजमगढ़
2. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह हे0का0 समेरिका यादव, हे0का0 रमेश कुमार, थाना-महाराजगंज, आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 32 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।\*